

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

20

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रॉची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : ३१.५.१२

विषय :— मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—७४—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११—१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२—१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२—२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य	७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—७४—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११—१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य ४९P470180796740545	१००.००

आवंटित राशि — ₹ एक करोड़ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२—१३ के बजट उपबंध रु. १५००.०० लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट १ के स्तंभ ६ में वर्णित) एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

११.६.१

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

६९

(जययप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

१४५

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

५५

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त।

लिं
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

20

रॉची, दिनांक :- *21.5.12*

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. – हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/सिमडेगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

लिं
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

20

रॉची, दिनांक :- *21.5.12*

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख – I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

११.८८
(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

६९
(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

४४
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

५५
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

लिं
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मौंग संख्या-४९-जल संरक्षण विभाग
मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य,
लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय द्वेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष-७४-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व
विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545
वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (₹ पन्द्रह करोड़) मात्र।

(रुपये लाख ₹ में)

क्र.प्रमाणल का नाम	मुख्य अधियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2012 तक का व्यय	शीर्षतार्ति वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन					अस्युक्ति
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१ जल पथ प्रमाणल सं०-१, सिमडेगा।	राँची	रामरेखा जलाशय योजना	विभागीय पत्रांक-५१ प्र०स्वी० दिनांक- १२.०३.२००३	५३८६.८७	४९७४.३२	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	(i) Construction of Right/Left Main Canal including distributris & village. (Rs. 48.00 Lakh) (ii) R/M of Inspection Vechicles (2Nos.) (Rs. 2.00 Lakh)
२ सिंचाई प्रमाणल, बुँदू	राँची	कोंची बीपर योजना के धर्स्त शीर्षकार्य पुनर्निर्माण के अवशेष कार्यों को पूरा करने हेतु।	०७/०९-१० प्र.स्वी० दिनांक १०.०७.०९	९०९.८२	६३२.२१	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
कुल योग				५६०६.५३	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	
आवेदित राशि - ₹ एक करोड़ मात्र।											

४८८
(सुरेश प्रसाद भगत)

४८९
(जयप्रकाश महावाचार्य)

४९०
(सुबोध कुमार सिन्हा)

४९१
(बी. सी. निगम)

४९२
(एस० के० शतपथी)

सहायक अधिकारी

उप सचिव (अमि.)

संयुक्त सचिव (अमि.)

विशेष सचिव

प्रधान सचिव